रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273143
CG-DL-E-04062026-273143

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2757] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948
No. 2757] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 2026

का.आ. 2851(अ).— जबकि मेसर्स अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी 8 लिमिटेड (एआरई8एल),जिसका पंजीकृत कार्यालय अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एस- जी- हाईवे, अहमदाबाद – 382421, गुजरात, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "गुजरात के कच्छ में 115 मेगावॉट सौर विद्युत परियोजना के लिए अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी एइट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/92/2025-PG दिनांकित 03.10.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "गुजरात के कच्छ में 115 मेगावॉट सौर विद्युत परियोजना के लिए अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी 8 लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी 8 लिमिटेड (एआरई8एल) ने स्थानीय समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका (हिंदी) दिनांक 04.12.2025, दि इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) दिनांक 04.12.2025, गुजरात समाचार (गुजराती) दिनांक 04.12.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 03.01.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन

मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी 8 लिमिटेड (एआरई8एल) ने 22.05.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

मेसर्स अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी 8 लिमिटेड ने दिनांक 21.05.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "गुजरात के कच्छ में 115 मेगावॉट सौर विद्युत परियोजना के लिए अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी 8 लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- एआरई8एल (गाँवः लुडबी, तालुका-नखत्राणा, जिला-कच्छ गुजरात में स्थित जनरेशन स्विचयार्ड) - भुज-II पीएस 220 केवी एस/सी लाइन (डी/सी टॉवरों पर)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन गुजरात राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र. सं.	गाँव के नाम	तहसील	ज़िला
1	अय्यर, चाराखाडा, जड़ाय, धामय जूनी, धामय नवी, धामय, धोरा, फुलई, जड़ोदर, जिंजय, कड़िया मोटा, कड़िया नाना, खांभला, खोंभाड़ी मोटी, खोंभाड़ी नानी, लुडबी, मथल, मोरे, मोतीचूर, मुरु, बगपाट, रातड़िया, टोडिया, उगेड़ी, उखेड़ा, रामपर, रामपर-सरवा, नेत्रा, वजीरा वांध, वेहर, विगोड़ी, थल, थल-लयारी, अरल मोटी, जेतवीरा, उमरापर, उथंगनी, गजनसर, अमारा, खिरसरा, खिरसरा-नेत्रा, सरवा, आनंदनगर, रसालिया नवू, रसालिया जुनू, रसालिया, देसलपर गुंतली, अमरापर, कोटड़ा जडोदर, मफतनगर, गेचड़ा, लयारी, नवावास, छारी, नवानगर, पैया, हीरापार टोडिया	नखत्राना	कच्छ
2	वमोटी नानी, वमोटी मोटी, समंदा, दाबन	अबडासा	कच्छ

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी 8 लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे

सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी 8 लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/48/2026-पावर ग्रिड (एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 2026

S.O. 2851(E).— Whereas M/s Adani Renewable Energy 8 Limited (ARE8L), the applicant with its registered Office at Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishno Devi Circle, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad-382421, Gujarat, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission System for Providing Connectivity to Adani Renewable Energy Eight Limited for its 115 MW Solar Power Project in Kachchh, Gujarat”

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/92/2025-PG dated 03.10.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission System for Providing Connectivity to Adani Renewable Energy Eight Limited for its 115 MW Solar Power Project in Kachchh, Gujarat”

M/s Adani Renewable Energy Eight Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Gujarat Samachar (Gujrati) dated 04.12.2025, Rajasthan Patrika (Hindi) dated 04.12.2025, The Indian Express (English) dated 04.12.2025, and in Weekly Gazette of India dated 03.01.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently M/s Adani Renewable Energy Eight Limited has submitted an affidavit dated 22.05.2026 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication of public notice.

M/s Adani Renewable Energy Eight Limited has submitted an Undertaking dated 21.05.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon’ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon’ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon’ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission System for Providing Connectivity to Adani Renewable Energy Eight Limited for its 115 MW Solar Power Project in Kachchh, Gujarat”. The following overhead line is covered under this scheme:

- ARE8L (Generating switchyard situated in village Ludbay, Taluka Nakhatrana, District Kachchh, Gujarat) – Bhuj-II PS 220kV S/c line (On D/c Tower).

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:

Sl. No.	Name of the Village	Tehsil	District	State
1	Aiyar, Charakhada, Jaday, Dhamay Juni, Dhamay Navi, Dhamay, Dhora, Fulai, Jadodar, Jinjay, Kadiya Mota, Kadiya Nana, Khambhla, Khombhadi Moti, Khombhadi Nani, Ludbay, Mathal, Moray, Motichur, Muru, Bagpat, Ratadiya, Todiya, Ugedi, Ukheda, Rampar, Rampar-Sarwa, Netra, Vajira Wandh, Wehar, Vigodi, Thal, Thal-Layari, Aral Moti, Jetavira, Umrapar, Uthangni, Gajansar, Amara, Khirasra, Khirasra-Netra, Sarwa, Anandnagar, Rasaliya Navu, Rasaliya Junu, Rasaliya, Desalpar Guntali, Amrapar, Kotada Jadodar, Mafatnagar, Gechada, Layari, Nawawas, Chhari, Navanagar, Paiya, Hirapar Todiya	Nakhatrana	Kachchh	Gujarat
2	Wamoti Nani, Wamoti Moti, Samanda, Daban	Abdasa		

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Adani Renewable Energy Eight Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Adani Renewable Energy Eight Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon’ble Supreme Court

[F. No. 25-16/48/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.04 22:53:47 +05'30'